(आयोग की वेबसाइट (**https://ssc.gov.in**) पर दिनांक **25.06.2026** को अपलोड किए जाने हेतु)

भारत सरकार,
कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं-12,केन्द्रीय कार्यालय परिरसर, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel and Training, Staff Selection Commission,
Block No.12, CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110003.

विज्ञप्ति

कनिष्ठ सचिवालय सहायक/अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा,2025

[कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग (सीएससीएस)]

ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि	**25.06.2026 से 16.07.2026 तक**
ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	**16.07.2026** **(2300 बजे)**
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	**अगस्त, 2026**

सं. 4/7/2026-गोप.5 : कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग (सीएससीएस) के कनिष्ठ सचिवालय सहायक/ अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड [वेतन स्तर-2 समूह 'ग' अराजपत्रित (19,900-63,200 रु.)] के चयन सूची में परिवर्धन करने हेतु संभावित रूप से अगस्त, 2026 के महीने में केवल दिल्ली-एनसीआर में एक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा।

2. **रिक्तियां** : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) संवर्ग के संबंध में भर्ती वर्ष 2025 के लिए अनंतिम रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है: -

क्रं सं	**सेवा / संवर्ग का नाम**	**अ ना**	**अजा**	**अजजा**	**योग**	**बें. दि.**
1.	केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा, डीओपीटी	-	-	-	**49***	-

*श्रेणी-वार रिक्तियां यथा समय सूचित कर दी जाएगी।

3. परीक्षा के स्थल (स्थलों), केंद्र (केंद्रों), तिथि और समय को आयोग अपने विवेकानुसार बदल सकता है। यदि परिस्थितिवश आवश्यक हो तो, आयोग किसी अभ्यर्थी को एक अलग केंद्र आवंटित कर सकता है। परीक्षा के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव, यदि होता है तो, उसे एसएससी मुख्यालय (https://ssc.gov.in) / एसएससी-उत्तरी क्षेत्र (https://sscnr.nic.in) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

टिप्पणी I **:- अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में केंद्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।**

टिप्पणी II :- अगर कोई अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र में बताए गए केंद्र के अलावा किसी दूसरे केंद्र पर आता है, तो ऐसे अभ्यर्थी के पेपर की जांच नहीं की जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी

4. अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा) और बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थियों के लिए पदों का आरक्षण सेवा/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सी.सी.ए.) द्वारा रिपोर्ट की गई संबंधित श्रेणियों में रिक्ति स्थिति के अनुसार होगा।
5. वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें नई वेबसाइट पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेब साइट के लिए कार्य नहीं करेगा। एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार नई वेबसाइट पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा।
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट अर्थात् https://ssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:
   (i) एकबारगी पंजीकरण
   (ii) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना।
7. अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में केवल एक आवेदन जमा करना चाहिए। एक से अधिक आवेदन जमा करने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
8. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार, अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें।
9. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा होने के बाद, उसकी प्रिंट प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, "अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश" **(अनुबंध-I)** के अनुसार उनकी संबंधित सेवा/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से **"क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003" को अग्रेषित की जानी चाहिए, जो दिनांक 23.07.2026 (1800 बजे) तक पहुंच जाए।**
10. विदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, "अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश" **(अनुबंध-I)** के अनुसार उनके संबंधित सेवा/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से **"क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003" को अग्रेषित किया जाना चाहिए जो दिनांक 30.07.2026 (1800 बजे) तक पहुंच जाए।**

    टिप्पणी-I केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा जिनके आवेदन उनके विभागाध्यक्ष/ कार्यालय प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया गया हो। इसके अतिरिक्त वे यह भी ध्यान रखें कि आयोग उनके आवेदन प्राप्त न होने या आवेदन देरी से प्राप्त होने की दशा में किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। आयोग में उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदन (आवेदनों) को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को, उनके हित में, यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और पृष्ठांकित किया गया है और उनके विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख द्वारा इस प्रकार से अग्रेषित किया गया है कि उनके

आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि और समय से काफी पहले पहुंच जाएं।

टिप्पणी- II आवेदकों के विभागाध्यक्ष/ कार्यालय प्रमुख को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र इस प्रकार अग्रेषित करने होंगे कि वे निर्धारित तिथि और समय तक कर्मचारी चयन आयोग के उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच जाएं।

टिप्पणी-III अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के आवेदन (आवेदनों) अग्रेषित करते समय, **संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) की मूल सेवा/संवर्ग इस परीक्षा के अंतर्गत भाग लेने वाली सेवा / संवर्ग में से एक है और अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा कर रहा है।**

11. इस परीक्षा से संबंधित सभी पत्राचार "**क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003**" को भेजे जाने चाहिए और उनमें निम्नलिखित विवरण होने चाहिए : -

(i) परीक्षा का नाम और वर्ष

(ii) अभ्यर्थी का नाम (पूर्ण और बड़े अक्षरों में)

(iii) अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम

(iv) रोल नंबर या जन्म तिथि (यदि अभ्यर्थी को रोल नंबर प्राप्त नहीं हुआ है)

(v) डाक पता जैसा कि आवेदन में दिया गया है

12. उपरोक्त पैरा-11 में यथा-वर्णित विवरण से रहित पत्राचार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस परीक्षा से संबंधित कर्मचारी चयन आयोग के साथ सभी पत्राचार में, अभ्यर्थियों को अपने लिफाफों पर ऊपर निरपवाद रूप से शब्दों व अंकों में **"कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2025 (सीएससीएस, डीओपीटी)"** अवश्य लिखना चाहिए।

(अवर सचिव)
कर्मचारी चयन आयोग (मु.)

अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं। उनका कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि सत्यापन के दौरान, कंप्यूटर आधारित परीक्षा से पहले या बाद में, यह पाया जाता है कि वे पात्रता संबंधी शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते हैं, तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पहले, अभ्यर्थियों को परीक्षा की विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवेदन किए गए पद के लिए पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं। किसी भी परिस्थिति में विज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को **अनुबंध-IV (एक-बारगी पंजीकरण) और अनुबंध-V (ऑनलाइन आवेदन पत्र)** के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थियों को दिए गए अनुदेशों को अवश्य पढ़ना चाहिए।

3. वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें नई वेबसाइट पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट के लिए कार्य नहीं करेगा। एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं। एक बार नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत निर्देश इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

4. आवेदन पत्र सिर्फ़ ऑनलाइन मोड में, एस.एस.सी. (मुख्यालय) की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति का **अनुबंध -IV** और **अनुबंध-V** देखें। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र का नमूना प्रपत्र **अनुबंध-IVक** और **अनुबंध –Vक** पर संलग्न है।

5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे, आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार, अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें।

6. आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को अपना पहले से मौजूद फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ, अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कंप्यूटर / मोबाइल फोन के सामने खड़े होना/ बैठना होगा तथा फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा :

क. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
ख. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
ग. अपने आप को वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें।

घ. यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में निर्धारित लाल आयताकार क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और यह न तो बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस क्षेत्र को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए।

ङ. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा / नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

7. **अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, बिना टोपी या चश्मा के हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।** ऐसे फोटोयुक्त आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं ली गई है। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले ली गई फोटोग्राफ की फ़ोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन जिनमें उनकी पहले की फोटो लगाई गई है, उन्हें तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

8. **परीक्षा के दौरान लोगों द्वारा अभ्यर्थी का प्रतिरूपण करने की कोशिश करने के उदाहरण देखे गए हैं। अतः परीक्षा के दौरान आवेदन पत्र के साथ जमा की गई तस्वीर और अभ्यर्थी के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। परीक्षा स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए, अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दिन उनका स्वरूप आवेदन पत्र में फोटो के अनुसार हो।**

9. अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 से.मी. (चौड़ाई) X 2.0 से.मी. (ऊंचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त फोटो या धुंधले / लघु हस्ताक्षर, उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

10. अभ्यर्थियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन पत्र में, उपस्थिति सूची में एवं आयोग की प्रतिलिपि में और आयोग के साथ सभी पत्राचार में किए गए हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। यदि हस्ताक्षरों में कोई भिन्नता पाई जाती है तो आयोग द्वारा उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

11. **अभ्यर्थी को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे** :

(i) सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित सही प्रति जो विभागाध्यक्ष या कार्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत सत्यापित की गई हो जिसमें अभ्यर्थी आवेदन करते समय कार्यरत है और जिसमें सरकारी कर्मचारी का विवरण अर्थात् अभ्यर्थी का पूरा नाम, उसके पिता का नाम, विवाहित सरकारी सेवारत महिलाओं के मामले में पति का नाम, राष्ट्रीयता, अनुसूचित जाति / या जनजाति का नाम, यदि अभ्यर्थी ऐसी जाति या जनजाति से संबंधित हो, ईसा-वर्ष में जन्म-तिथि (अंकों व शब्दों, दोनों में), दर्शाया गया हो।

(ii) आवेदन करते समय जिस कार्यालय में वह कार्यरत है, उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुप्रमाणित सेवा विवरणों की प्रति जिसमें वेतनमान और पदस्थिति, यथा- मूल, स्थानापन्न, स्थायी या अस्थायी सहित धारित पद दर्शाया गया हो।

(iii) आवश्यक शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र की प्रति, यदि लागू हो।

(iv) बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के मामले में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।

टिप्पणी I :- कर्मचारी चयन आयोग, यदि आवश्यक समझे तो, सेवा पंजिका या अन्य दस्तावेजी प्रमाण की मांग कर सकता है।

टिप्पणी II :- ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटेड कॉपी के साथ केवल स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न की जानी चाहिए और कोई मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

12. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि कोई आवेदन अधूरा है या गलत तरीके से भरा गया है या उपरोक्त पैरा 11 के तहत उल्लिखित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी अस्वीकृति के विरूद्ध किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय 16.07.2026 (2300 बजे) हैं।

14. अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा/असमर्थता हो सकती है और एसएससी की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है। आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

15. अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को प्रीव्यू / प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। उन्हें यह जांच भी कर लेनी चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदनपत्र की एक प्रति अपने पास रखें।

17. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कोई भी गलत/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक जानकारी न दें या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को न छिपाएं।

18. आयोग परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवश्यक पात्रता मापदंड के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं।

19. उन सभी अभ्यर्थियों को जो इस परीक्षा विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में निर्धारित तिथि और समय तक पंजीकरण और आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन इस परीक्षा की विज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए रोल नंबर दिए जाएंगे और प्रवेश प्रमाणपत्र (एसी) जारी किया जाएगा।

20. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग के उत्तरी क्षेत्र कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी चरण हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।

इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित किसी भी अपडेट और जानकारी के लिए आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाईट को नियमित रूप से देखते रहे।

21. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा केवल **दिल्ली-एनसीआर** में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए समय सारणी और परीक्षा के शहर/केंद्र को दर्शाते हुए परीक्षा के बारे में जानकारी परीक्षा की तिथि से लगभग 10 दिन पहले आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट https://sscnr.nic.in पर अपलोड की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पहले आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपना विवरण नहीं मिलता है, तो उसे अपना आवेदन जमा करने के प्रमाण के साथ तुरंत आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा, ऐसा न करने पर वह परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता पर विचार करने के किसी भी दावे से खुद को वंचित कर लेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा से 3-4 दिन पहले एस.एस.सी. (उत्तरी क्षेत्र) की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

टिप्पणी-:- अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि विदेश में किसी भी भारतीय मिशन में कोई केंद्र नहीं होगा। विदेश में भारतीय मिशन में कार्यरत अभ्यर्थी को अपने खर्च पर भारत में यह परीक्षा देनी होगी।

22. आयोग के पास किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को दूसरे केंद्र पर उपस्थित होने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित है। आयोग किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरित करने का अधिकार भी रखता है।

23. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सरकारी कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा जारी अपना विभागीय पहचान पत्र (मूल) प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से कोई यात्रा भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

24. जिन अभ्यर्थियों का ओ टी आर के दौरान आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, वे परीक्षा आरंभ होने के समय से दो (02) घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें और उन्हे कम से कम दो पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर अंकित जन्म-तिथि के प्रमाण हेतु फोटो लगा मूल वैध पहचान पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य होगा, जिसके ना होने पर उन्हे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे-

24.1 मतदाता पहचान पत्र कार्ड,

24.2 ड्राइविंग लाइसेंस ,

24.3 पैन कार्ड,

24.4 पासपोर्ट,

24.5 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र

25. अगर फोटो पहचान-पत्र में जन्म-तिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्म-तिथि के प्रमाण से संबन्धित एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र (अर्थात् सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मेट्रिक प्रमाणपत्र, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी संबंधी प्रमाणपत्र) मूल रूप में लाना होगा। प्रवेश-पत्र में अंकित जन्म-तिथि और जन्म-तिथि के

प्रमाण के तौर पर लाए गए फोटो प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी हालांकि, आधार प्रमाणित अभ्यर्थीयों के लिए उपरोक्त शर्त लागू नहीं है।

26. **पैरा-35 (क), 35 (ख) और 35 (ग) के अनुसार** प्रलिपिक / तकनीक / सहायक उपकरणों की सुविधा लेने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को भी अपने साथ जरूरी चिकित्सा प्रमाण-पत्र/ वचन-पत्र/ प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र प्रमाण की प्रति, जैसाकि प्रवेश प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किया गया है, लाना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27. परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़ भी अभ्यर्थी को अपने साथ लाना होगा।

28. कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार कार्मिकों की भर्ती करता है। आयोग की प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन में उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज) के निर्धारण, बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के पृथक्करण और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है।

29. **परीक्षा के लिए नियम :-**

वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (डीओपीटी) के कनिष्ठ सचिवालय सहायक/ अवर सचिव लिपिक के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए हैं।

30. **निर्णायक तिथि और पात्रता की शर्तें ;-**

सेवा/ संवर्ग का नाम	मान्य सेवा की गणना के लिए निर्णायक तिथि	पात्रता की शर्तें
केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा, डीओपीटी	**अगस्त 2025 का पहला दिन (01.08.2025)**	1800 रुपये के ग्रेड पे वाले किसी भी स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी समूह 'ग' कर्मचारी, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, वे परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे:- **सेवा की अवधि:** -निर्णायक तिथि तक, उसने 1800 रुपये के ग्रेड पे पर समूह 'ग' कर्मचारी के तौर पर कम से कम **तीन साल** की नियमित सेवा पूरी की हो। टिप्पणी I:- सक्षम प्राधिकारी की मंज़ूरी से 'पूर्व-संवर्ग' पद पर प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहा समूह 'ग' का कर्मचारी परीक्षा में शामिल होने का पात्र होगा, बशर्ते वह अन्य शर्तों को पूरा करता हो। टिप्पणी II:- समूह 'ग' का कोई कर्मचारी जिसे स्थानांतरण पर पूर्व-संवर्ग पद या अन्य सेवा पर नियुक्त किया गया है और जो

		वर्तमान में समूह 'ग' पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) बनाए हुए है, वह भी परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य होगा, बशर्ते वह अन्य शर्तों को पूरा करता हो। **शैक्षणिक योग्यताएं :** उसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से **12वीं कक्षा** की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टाइप-राइटिंग परीक्षा :-** (i) यदि अभ्यर्थियों ने पहले से परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो उन्हें कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आवधिक टाइप-राइटिंग परीक्षाओं में से किसी एक को पास करना होगा; इसके लिए न्यूनतम गति मैनुअल टाइपराइटर पर: अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट (w.p.m.) या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए; अथवा कंप्यूटर पर: अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए [35 w.p.m. और 30 w.p.m. का अर्थ क्रमशः 10500 की-डिप्रेसन्स प्रति घंटा (KDPH) / 9000 KDPH है, जिसमें प्रति शब्द औसतन 5 की-डिप्रेसन्स माने जाते हैं] या इन्हीं मानदंडों के अनुसार, नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी टाइपिंग परीक्षा, ऐसा न करने पर, जब तक वे इस परीक्षा को पास नहीं कर लेते, तब तक उन्हें कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। (ii) जो अभ्यर्थी अपनी परिवीक्षा अवधि के भीतर उक्त टाइप-राइटिंग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं, उन्हें उनके मूल पद या अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्ति से पूर्व मूल अस्थायी पदों पर वापस भेजा जा सकता है। (iii) उपरोक्त खंड (i) और (ii) में किसी बात के होते हुए भी, कोई अभ्यर्थी जो शारीरिक दिव्यांगता के कारण टाइप-राइटिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, अर्थात् सिविल सर्जन द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श पर, टाइपराइटर परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से छूट दी जाती है और यदि उसे ऐसी छूट दी जाती है, तो खंड (i) और खंड (ii) के उपबंध उस पर ऐसी छूट की तिथि से लागू नहीं होंगे।

31. अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) अभ्यर्थियों और बेंचमार्क दिव्यांगजनों (बे.दि.) के लिए आरक्षण, जहां भी लागू और स्वीकार्य है, मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार संबंधित सेवा/ संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और सूचित किया जाएगा।

32. यदि निर्धारित मानक के आधार पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं जो उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भर सके (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के मामले में) जो इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को चयन शिथिल मानक पर चयनित किया जा सकता है। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले सभी बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समान शिथिल मानक लागू किया जाएगा, भले ही वे अनारक्षित/ अ.जा. / अ.ज.जा. श्रेणी से संबंधित हों। किसी भी श्रेणी के किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मानकों में किसी और शिथिलता पर विचार या स्वीकार नहीं किया जाएगा।

33. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिन्हें आयोग द्वारा उपर्युक्त शिथिल मानक का सहारा लिए बिना अनुशंसित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा।

34. कोई अभ्यर्थी जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद या उसमें उपस्थित होने के बाद, अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे देता है या अन्यथा सेवा छोड़ देता है या उससे अपना संबंध तोड़ देता है या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है या जो 'स्थानांतरण' पर किसी पूर्व संवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त हो जाता है और मल्टी-टास्किंग/समूह-ग स्टाफ में धारणाधिकार (लियन) नहीं रखता है, वह इस परीक्षा के परिणाम पर अपनी संबंधित सेवाओं / संवर्गों में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यह उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

35. प्रतिपूरक समय और प्रलिपिक / तकनीक / सहायक उपकरणों की सहायता का प्रावधान :

क. दृष्टिहीनता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में आने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / तकनीक / सहायक उपकरणों की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय इस संबंध में आयोग से अनुरोध किया गया हो, आवेदन पत्र भरते समय अपेक्षित दिव्यांगता प्रमाणपत्र (विज्ञप्ति का **अनुबंध -VII/ अनुबंध -VIII**) अपलोड किया गया हो तथा बशर्ते कि उक्त पद इन श्रेणियों की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त माना जाए।

ख. बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की शेष श्रेणियों के मामले में, **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने से संबंधित शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक / तकनीक / सहायक उपकरण अत्यावश्यक है। इसके अलावा, आवेदन पत्र भरते समय ज़रूरी प्रमाणपत्र (**अनुबंध –II/ अनुबंध –VII / अनुबंध–VIII के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र**) अपलोड करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए इस बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र **(अनुबंध –II / दिव्यंगता प्रमाण पत्र)** की सत्यता की जांच आयोग द्वारा किसी भी समय की जा सकती है।

ग. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 10.08.2022 के का.ज्ञा. सं. 29-6/2019- डीडी-III के अनुसरण में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई का अनुभव करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक/ तकनीक/सहायक उपकरणों की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा **अनुबंध-III** के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। इसके अलावा, आवेदन फॉर्म भरते समय ज़रूरी प्रमाणपत्र **(अनुबंध - III / अनुबंध–VII / अनुबंध –VIII के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र)** अपलोड करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए इस दिव्यांगता प्रमाणपत्र **(अनुबंध – III/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र)** की सत्यता की जांच आयोग द्वारा किसी भी समय की जा सकती है।

घ. बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / तकनीक / सहायक उपकरणों की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होने ऑनलाईन आवेदनपत्र में इस विकल्प का चयन किया हो।

ङ. ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त **पैरा 35 (क), 35 (ख) और 35 (ग)** में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक / तकनीक / सहायक उपकरणों को लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

च. **पैरा 35 (क), 35 (ख) और 35 (ग)** में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक / तकनीक / सहायक उपकरणों की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघण्टे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

छ. बेंचमार्क दिव्यांग/ दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक / तकनीक / सहायक उपकरणों की सुविधा और / अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी अन्य समय, यथा-प्रयोज्य, प्रलिपिक / तकनीक / सहायक उपकरणों / अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

36. **परीक्षा की योजना** : परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित योजना के अनुसार किया जाएगा :

भाग- I : कंप्यूटर आधारित परीक्षा (180 अंक)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
बोधगम्यता / सामान्य अंग्रेजी	**60**	**60**	3 घंटे (प्रलिपिक * के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे)
सामान्य ज्ञान	**60**	**60**	
सीएसएमओपी	**60**	**60**	
योग	**180**	**180**	

* उपरोक्त पैरा 35 (a), 35(b) & 35(c) के अनुसार

i. परीक्षा की योजना में 180 अंक की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) शामिल है। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्रश्न केवल वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 का ऋणात्मक अंकन होगा।

ii. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में केवल चयनित भाषा (अंग्रेजी/हिंदी) में परीक्षा देनी होगी, सिवाए "बोधगम्यता / सामान्य अंग्रेजी" विषय के "सामान्य अंग्रेजी" खंड को छोड़कर, जिसे अंग्रेजी भाषा में ही देना होगा। दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ब्रेल लिपि में कोई प्रश्न पत्र नहीं होगा।

iii. परीक्षा के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजिया आयोग की वेबसाईट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को अच्छी तरह से देख सकते हैं और अगर उस पर कोई अभ्यावेदन देना चाहें तो आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के अंदर, 50/- रु. प्रति प्रश्न, जोकि अप्रतिदेय है, का भुगतान करके सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से दे सकते है। अन्य माध्यमों, जैसे- पत्र, आवेदन, ई मेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन को उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले संवीक्षित किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। अंतिम उत्तर-कुंजी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

iv. आयोग ने **दिनांक 10.04.2026 की विज्ञप्ति** के तहत अपनी वेबसाईट पर चुनौती/आपत्ति/अभ्यावेदन प्रबंधन प्रणाली के संबंध में दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। अभ्यर्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें क्योंकि आपत्ति /चुनौती/ अभ्यावेदन प्रबंधन प्रणाली इन दिशानिर्देशों के अनुसार इस परीक्षा के लिए लागू होंगे।

v. परीक्षा के किसी भी चरण/ पेपर में अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

vi. परीक्षा विज्ञप्ति में दर्शाया गया परीक्षा का कार्यक्रम संभावित है। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी बदलाव की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी।

37. **<u>पाठ्यक्रम</u>** : कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :

बोधगम्यता (अंग्रेजी / हिंदी) एवं सामान्य अंग्रेजी	अभ्यर्थियों का परीक्षण भाषा संबंधी सरल रचना और व्यावहारिक व्याकरण से किया जाएगा
सामान्य ज्ञान	सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों का ज्ञान एवं भारत के बारे में सामान्य जानकारी
सीएसएमओपी	नवीनतम सीएसएमओपी के अध्याय संख्या 5,6, एवं 10 से सामान्य प्रश्न यथा डाक पावतियों का प्रबंधन, मिसल प्रबंधन प्रणाली, रिकार्ड प्रबंधन

38. **<u>चयन का तरीका</u>**

i. आयोग अपने विवेकानुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के लिए न्यूनतम अर्हता अंक तय कर सकता है।

ii. अंतिम चयन केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) में अभ्यर्थियों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

iii. परीक्षा के बाद, आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नामों को प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के साथ योग्यता के क्रम में आयोग द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि जिन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा परीक्षा में

योग्य पाया जाता है, उन्हें सीएससीएस संवर्ग के कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड के लिए आवश्यक रिक्तियों की संख्या तक चयनित सूचियों में शामिल करने की अनुशंसा की जाएगी।

iv. बशर्ते कि आयोग द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में शिथिलता देकर अनुशंसा की जा सकेगी जो अभ्यर्थियों के सेवा में चयन के लिए उपयुक्त होने के लिए अध्यधीन होगी

v. बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा इस उपनियम में उल्लिखित मानकों में शिथिलता दिए बिना ही अनुशंसा की गई है, उन्हें अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / बेंचमार्क दिव्यांग के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा।

vi. कनिष्ठ सचिवालय सहायक/अवर श्रेणी लिपिक का चयन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के अध्यधीन, योग्यता के क्रम में, संबंधित सेवा/संवर्ग द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या के अनुसार, उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की अनुशंसा नहीं की गई है उनके अंक कट ऑफ अंक से कम है अर्थात् वे मेरिट सूची में स्थान नहीं बना पाए है और परीक्षा में अहर्ता प्राप्त नहीं कर पाए है।

vii. अभ्यर्थियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगी परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीएससीएस संवर्ग के कनिष्ठ सचिवालय सहायक/ अवर श्रेणी लिपिक की चयन सूची में कितने अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएं, यह तय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी अधिकार के तौर पर इस परीक्षा में अपने कार्य निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने का कोई दावा नहीं करेगा।

viii. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी यथा आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए अभ्यर्थी हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है।

39. **<u>बराबरी (टाई) मामलों का समाधान</u>** :

ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, बराबरी (टाई) मामलों का समाधान होने तक दिए गए क्रम में निम्नलिखित तरीकों को एक के बाद एक लागू करके बराबरी (टाई) मामलों का समाधान किया जाएगा :-

i. सीबीई के 'बोधगम्यता एवं सामान्य अंग्रेजी' विषय में प्राप्त अंक

ii. सीबीई के 'सामान्य ज्ञान' विषय में प्राप्त अंक

iii. जन्म तिथि, अधिक आयु के अभ्यर्थी को पहले लिया जाएगा।

iv. अभ्यर्थियों के नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार

40. **कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:**

i. आयोग परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता/सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के पश्चात व्यापक विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फ़ोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज पुनर्विलोकन / समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। आयोग की नीति के अनुसार, परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता निरस्त करना और भविष्य की परीक्षाओं से वारित करना शामिल है।

ii. यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और प्रवृत्त कानून के अनुसार की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के अतिरिक्त, आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा।

क्रम संख्या	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	1-2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	1 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	2-3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	जानबूझकर गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	1-3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों से समर्थन या प्रभाव प्राप्त करना।	3 वर्ष
7	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	3-5 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना या बैठने का प्रयास करना	2-5 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	जानबूझकर परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	1-3 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	आग्नेय शस्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना, परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों नकल करना।	7 वर्ष
14	प्रतिरूपण /किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण के रूप में कार्य कराना।	7 वर्ष
15	प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का स्नेपशाट लेना, वीडियो बनाना।	7 वर्ष

16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष
18	अभ्यर्थी द्वारा उसी परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में कार्य करना या प्रलिपिक के बारे में झूठी घोषणा करना	3-5 वर्ष
18क	अभ्यर्थी या प्रलिपिक द्वारा एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार 'स्वयं के प्रलिपिक' के रूप में कार्य करना।	3 वर्ष
18ख	किसी ऐसे प्रलिपिक की सेवाएं लेना, जिसे भर्ती प्रक्रिया से वारित किया जा चुका है।	3 वर्ष
19	परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि प्रलिपिक स्वयं ही उत्तर लिख रहा है या प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष तरीके से अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए इशारा कर रहा है	7 वर्ष
20	अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न भर्तियों में अलग-अलग पिता का नाम, जन्मतिथि आदि के साथ आवेदन करना या इसके विपरीत।	1-5 वर्ष
21	अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक के रूप में उपस्थित प्रतिरूपक (एसएससी के रिकॉर्ड के अनुसार)	7 वर्ष
22	आयोग की एक ही परीक्षा में प्रलिपिक द्वारा एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में बैठना अथवा अभ्यर्थी द्वारा एसे प्रलिपिक की सेवा लेना।	5-7 वर्ष
23	परीक्षा के दौरान अन्य अभ्यर्थियों के कंप्यूटर में झांकना / बात करना / किसी के साथ संवाद करना	1-3 वर्ष

नोट :- ऊपर उल्लिखित कदाचारों की सूची केवल उदाहरण के तौर पर दी गई है तथा यह परिपूर्ण नहीं है। आयोग किसी भी अभ्यर्थी विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार रखता है यदि अभ्यर्थी किसी ऐसे आचरण में लिप्त पाया जाता है जिसे आयोग द्वारा 'कदाचार' माना गया है।

iii. उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या यथा-स्थिति ऐसा करने के लिए उकसाया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे :-

(I) आयोग द्वारा उस परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसका वह अभ्यर्थी है अथवा

(II) उसे या तो स्थायी रुप से या एक विशेष अवधि के लिए वारित किया जा सकता है:

(i) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या उनके किसी चयन से,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से और

(iii) उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक और कोई अन्य उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

iv. आयोग यदि उचित समझे तो मामले को पुलिस /जांच एजेंसी को भी रिपोर्ट कर सकता है और आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञ से मामले की जांच कराने के लिये यथोचित कार्रवाई भी कर सकता है।

v. अभ्यर्थी द्वारा यदि किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश की जाती है तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

41. आवेदन पत्र भरने/जमा करने और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संबंध में, यदि कोई स्पष्टीकरण या सहायता चाहिए हो,तो अभ्यर्थी निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

i. हेल्प डेस्क (एसएससी मुख्यालय): 1800 309 3063 (टोल फ्री - निःशुल्क)

ii. एसएससी (उत्तरी क्षेत्र / NR), नई दिल्ली: 011-24363343

42. **आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आवंटन, मेरिट सूची और संगठनों के आवंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में किसी पूछ-ताछ/ पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

43. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार :** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है। अर्थात्: उत्तरी क्षेत्र।

अनुबंध-II

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ...., ग्राम/जिला/राज्य .... के निवासी हैं, जोकि ....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा - उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित करती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात् दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ / पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-III

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, हमनें श्री / सुश्री / श्रीमती ....(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री ...., निवासी ....(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु .... वर्ष, ... (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ___________ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / / मनोचिकित्सक विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट यदि) उपलब्ध है)	व्यवसायिक चिकित्सक यदि) (उपलब्ध है	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यही कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य अध्यक्ष .... मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधिकारी				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:
तारीख:

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बारगी पंजीकरण

II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एक बारगी पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार, अपने ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। जो अभ्यर्थी आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते, उन्हें अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
3. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
   - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
   - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
   - ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)
     - i. मतदाता पहचान पत्र
     - ii. पैन
     - iii. पासपोर्ट
     - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
     - v. नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी)
   - घ. बोर्ड, अनुक्रमांक और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

4. एक बारगी पंजीकरण के लिए, आयोग की नई वेबसाईट अर्थात् https://ssc.gov.in पर दिए गए 'Login or register' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

5. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
   - क. व्यक्तिगत विवरण
   - ख. पासवर्ड बनाना
   - ग. अतिरिक्त जानकारियां
   - घ. घोषणा।

6. **'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:**
   - क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात् आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो

बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं, तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या- 1: आधार संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-

(i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज

(ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र,

(iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश।

(iv) फोटो।

(v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।

ग. क्रम संख्या- 2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

घ. क्रम संख्या- 3: यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 3क और 3ख में करें।

ङ. क्रम संख्या- 4: अपना लिंग बताएं (पुरूष/महिला)।

च. क्रम संख्या- 5: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. क्रम संख्या- 6: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ज. क्रम संख्या- 7: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

झ. क्रम संख्या- 8 से 10: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम

ii. रोल नंबर

iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. क्रम संख्या- 11: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ट. क्रम संख्या- 12: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी

चयन आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ. क्रम संख्या- 13: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा,केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सेव किया जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सेव हो जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक का सेव किया गया पंजीकरण विवरण हटा दिया जाएगा।

ण. अपनी पंजीकृत संख्या को उपयोगकर्ता नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।

<u>पासवर्ड बनाना</u>

त. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

थ. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगइन करना होगा।

द. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'मूलभूत विवरण' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

<u>अतिरिक्त विवरण</u>

ध. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

न. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

प. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

ब. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

भ. क्रम संख्या- 6 से 7: अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

म. प्रदान की गई जानकारी को सेव करें। ड्राफ्ट का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

य. 'Declaration' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।

र. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।

ल. मूलभूत विवरण प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

7. आप अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) विवरण को संपादित/ संशोधित नहीं कर सकते हैं अतः आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है।

8. आपको पुनः चेतावनी दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

एकबारगी पंजीकरण के स्क्रीनशॉर्ट्स

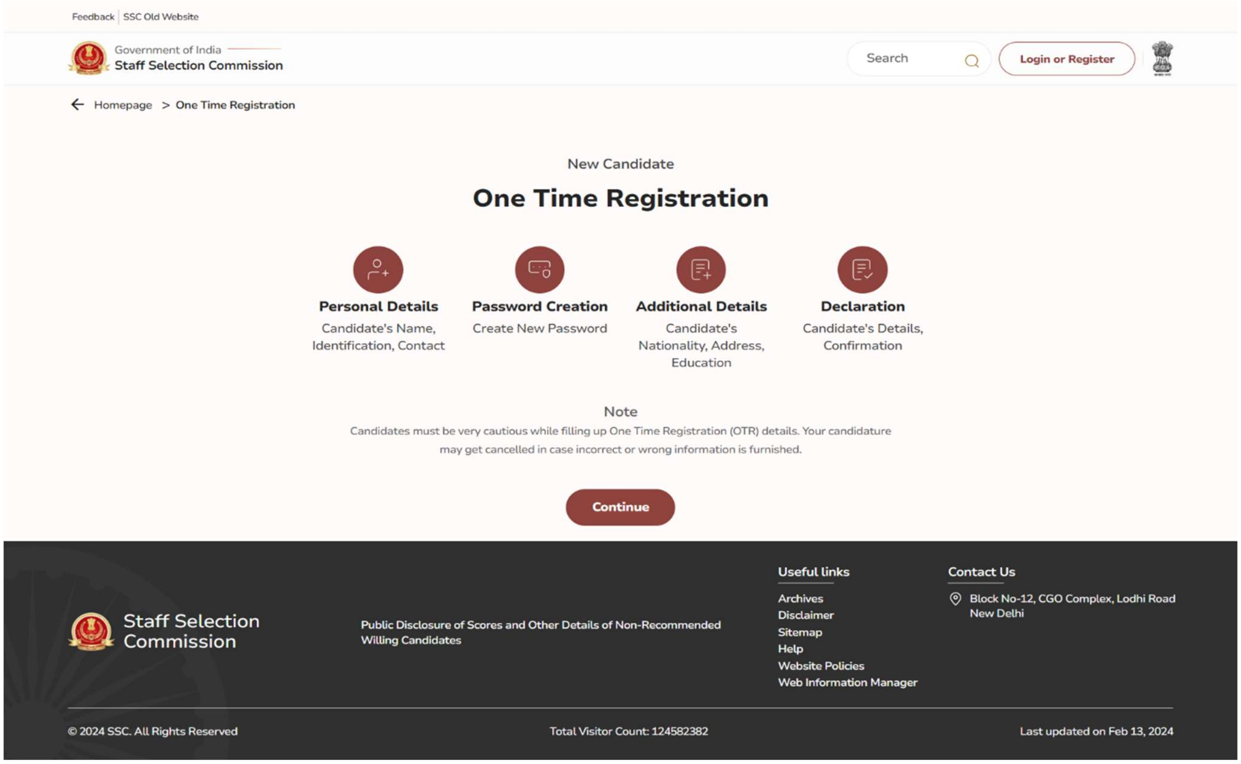

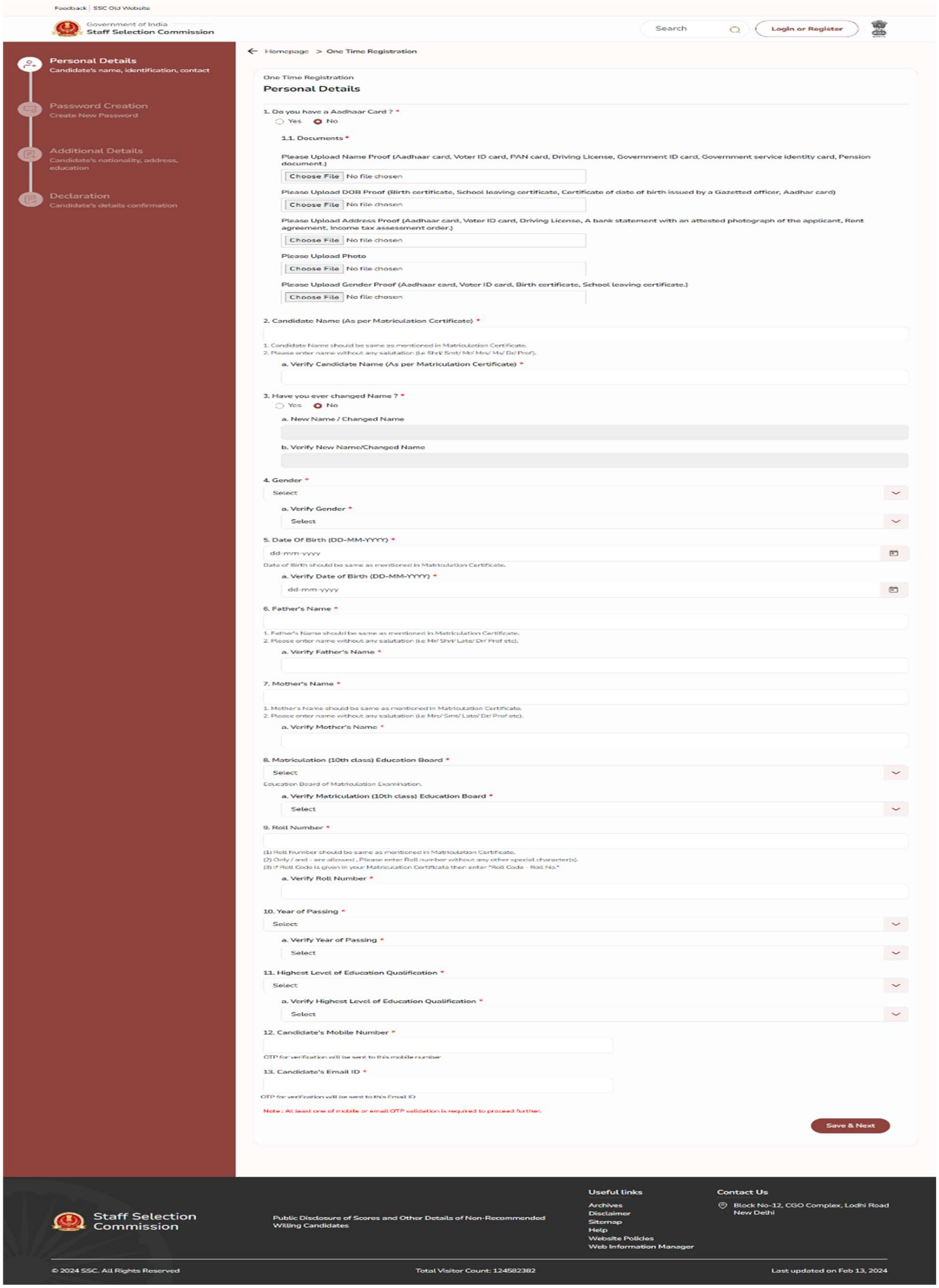

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
Yes No

1.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)
Choose File No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)
Choose File No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)
Choose File No file chosen

Please Upload Photo
Choose File No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)
Choose File No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *
1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).
a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
Yes No
a. New Name / Changed Name
b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select
a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.
a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *
(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."
a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select
a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select
a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *
OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *
OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

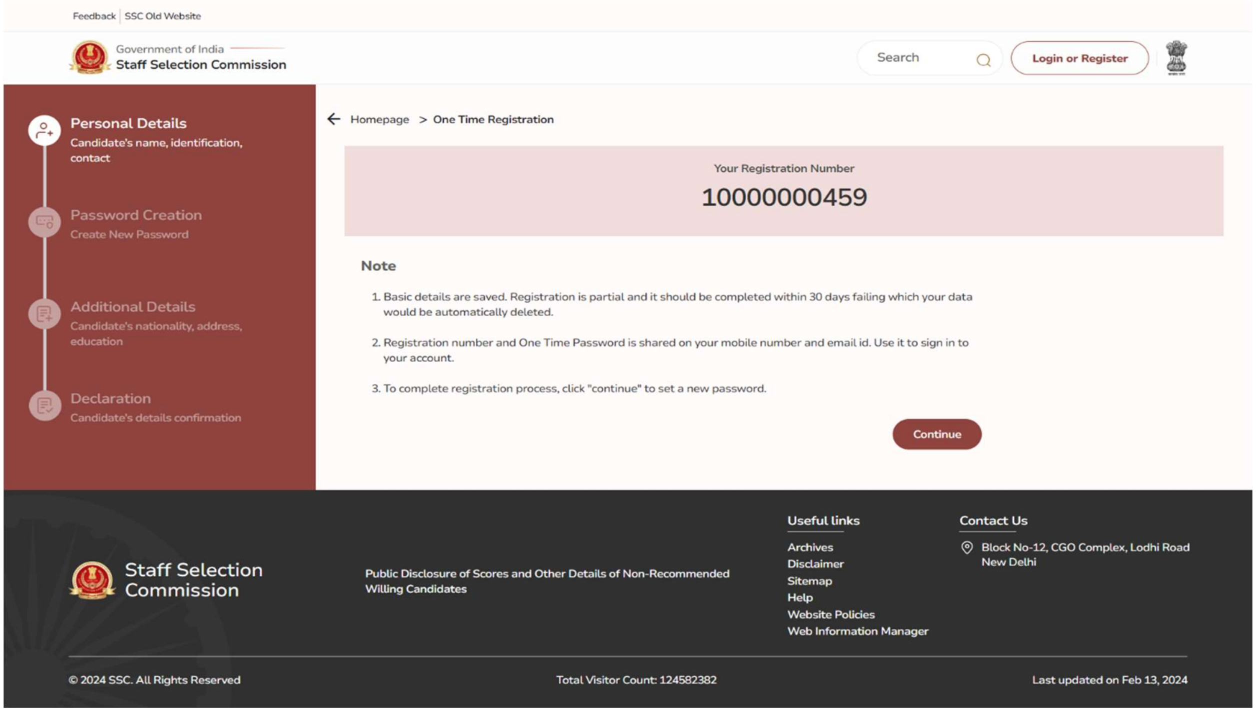

Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
Your Registration Number
10000000459
Note
1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

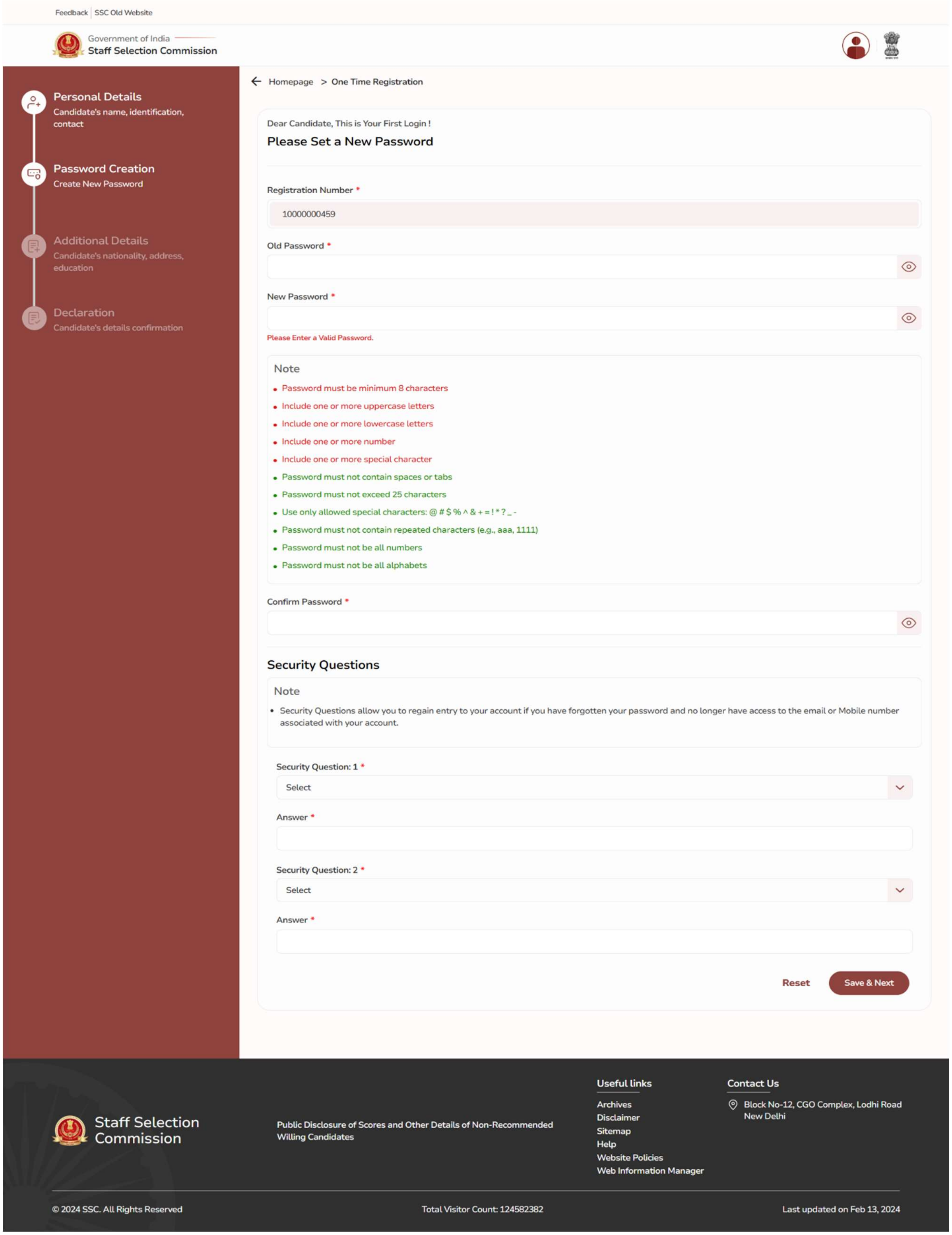
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

Dear Candidate, This is Your First Login !

Please Set a New Password

Registration Number *

10000000459

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # $ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select

Answer *

Security Question: 2 *

Select

Answer *

Reset | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

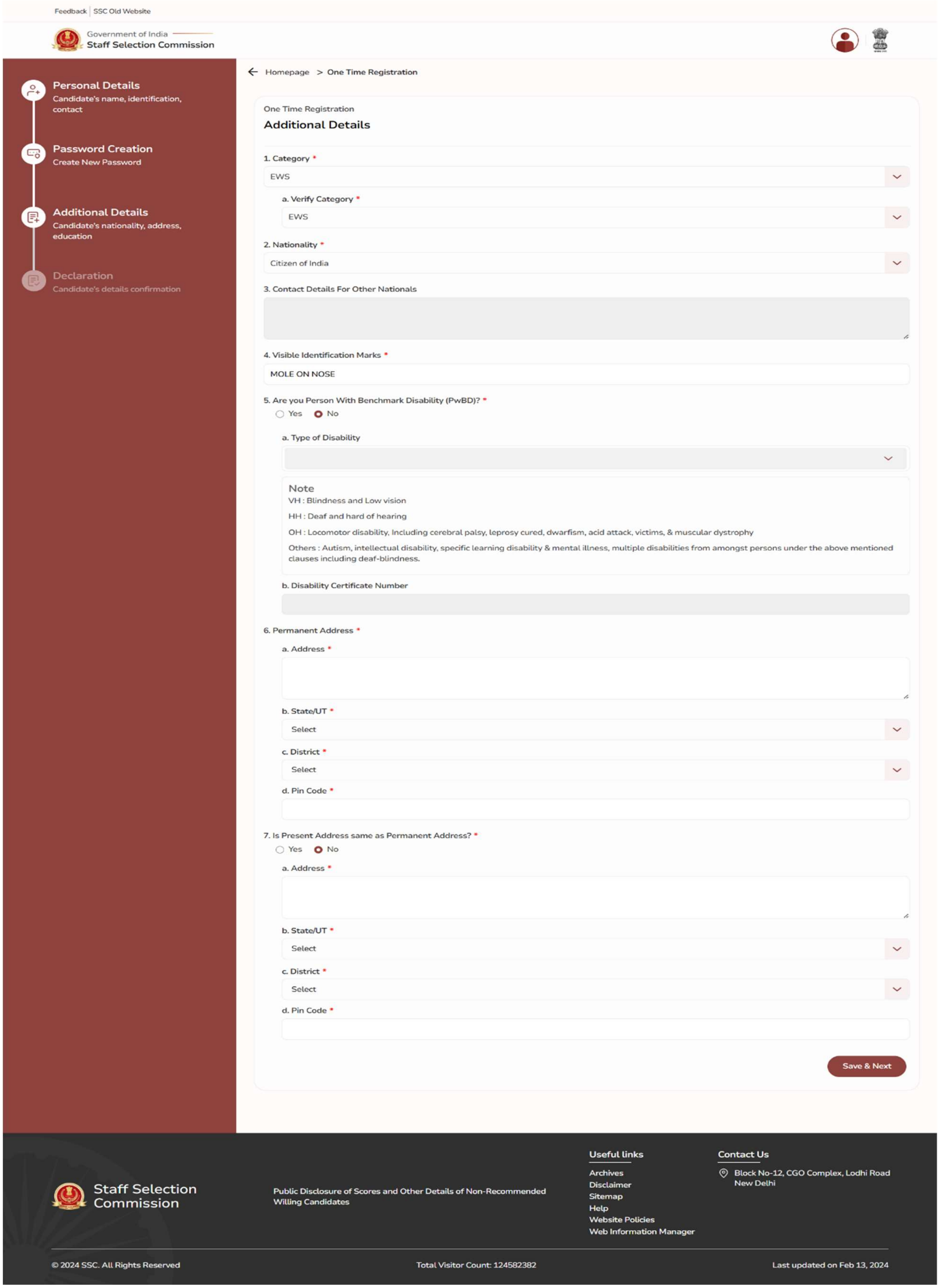

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Additional Details

1. Category *
EWS

a. Verify Category *
EWS

2. Nationality *
Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *
MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *
Yes No

a. Type of Disability

Note
VH : Blindness and Low vision
HH : Deaf and hard of hearing
OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy
Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *
Yes No

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

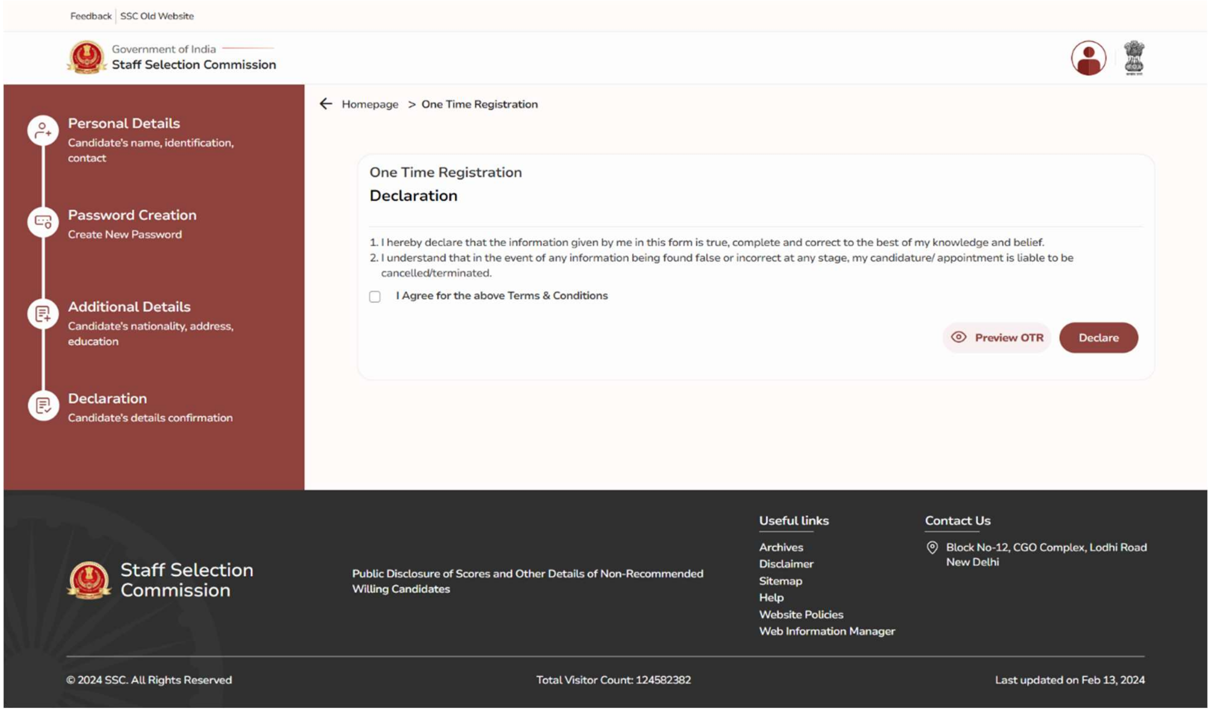
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
One Time Registration
Declaration
1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.
I Agree for the above Terms & Conditions
Preview OTR
Declare
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:

क. एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, टोपी या चश्मे के बिना हो, और सामने का भाग पूरी तरह दिखाई दे। स्वीकृत /अस्वीकृत फोटो के नमूने **अनुबंध-VE** में दिए गए हैं। यदि खींची गई फोटो स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं हैं, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पुनः फोटो खींचे। स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं होने वाले आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। परीक्षा में अभ्यर्थी का स्वरूप आवेदन पत्र में दी गई फोटो के अनुरूप होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा :-

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।

(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।

(iii) अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे देखें।

(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में चित्रित लाल आयताकार स्थान के अंदर पूरी तरह समाहित हो और यह न तो बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।

(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

ख. जेपीईजी/जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 6.0 से.मी. (चौड़ाई) X 2.0 से.मी. (ऊंचाई) होना चाहिए। लघु / धुंधले / अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

2. अपनी 'पंजीकरण संख्या' और 'पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

3. "लाइव परीक्षा" टैब के अंतर्गत खंड "Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk Grade Limited Departmental Competitive Examination, 2025 (CSCS, DoPT)" में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।

4. कॉलम संख्या 1 से 18 में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एक बारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण विवरण में संशोधन करना चाहते हैं तो आपके डैशबोर्ड के बाएं हाथ के ऊपरी कोने पर दिए गए "Modify Registration" टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उचित सुधार कर लें।

5. क्रम संख्या19: सेवा /संवर्ग केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा, डीओपीटी होगा।

6. क्रम संख्या 20: परीक्षा का वर्ष 2025 होगा।

7. क्रम संख्या-21 और 21.1: कृपया संबंधित फीडर सेवा/संवर्ग में नियुक्ति की तिथि और सेवा अवधि बताएं। अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा सं. 30 के अनुसार पात्र हैं।

8. क्रम संख्या-22: परीक्षा केंद्र केवल दिल्ली एनसीआर रहेगा।

9. क्रम संख्या-23.1: सूचना प्रदान करें कि आप दृष्टिहीनता (दृ.दि.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगजन (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांगजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 23.1 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय हेतु पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत दृ.दि. (दृष्टिहीनता /अल्प दृ.) के साथ बहु दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(क) का संदर्भ लें।

10. क्रम संख्या-23.2: सूचना प्रदान करें कि आप प्रमस्तिष्क पक्षाघात (प्र.प.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगजन (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांगजन – अ.दि. और बेंचमार्क दिव्यांगजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 23.2 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि, इन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और परीक्षा के समय भी उसे मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(क) का संदर्भ लें।

11. क्रम संख्या-23.3: परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(ख) अथवा 35(ग) के अनुसार, यदि आप को लिखने की शारीरिक सीमाएं है और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की आवश्यकता है, तो इंगित करें। यह विकल्प उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जो बेंचमार्क दिव्यांगजन – दृ.दि. अभ्यर्थी हैं अथवा जिन्होंने क्रम सं. 23.1 या 23.2 में 'Yes' का चयन किया है। यह विकल्प सभी अन्य बेंचमार्क दिव्यांगजन तथा गैर-बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 23.3 में 'Yes' का चयन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-II** के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। बेंचमार्क दिव्यांगजन से भिन्न अभ्यर्थी (अर्थात् 40 प्रतिशत कम दिव्यांगता वाले) जिन्होंने क्रम सं. 23.3 में 'Yes' का चयन किया है, प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-III** के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और परीक्षा के समय भी उसे मूलरूप में

प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(ख) अथवा 35(ग) को देखें।

12. क्रम संख्या- 23.4: प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस के रूप में सहायक की आवश्यकता को इंगित करें।

13. क्रम संख्या- 24: कृपया परीक्षा का माध्यम चुनें।

14. क्रम संख्या- 25: कृपया 'Yes' या 'No' का चयन करें।

15. क्रम संख्या- 26: कृपया आवेदन करते समय उस मंत्रालय / विभाग/ कार्यालय का नाम तथा पूरे पते का विवरण दें जिसमें आप कार्यरत हैं।

16. क्रम संख्या- 26.1 और 26.2 : कृपया विभागाध्यक्ष /कार्यालय प्रमुख का नाम और पदनाम, टेलीफोन नंबर तथा ईमेल(जीओवी /एनआईसी) प्रदान करें।

17. क्रम संख्या- 27.1: कृपया 'Yes' या 'No' का चयन करें।

18. क्रम संख्या 27.2 से 27.4: कृपया अपने रोजगार का विवरण प्रदान करें।

19. क्रम संख्या 28 : कृपया वह तिथि बताएं जब से आप अपने संवर्ग/सेवा में नियमित "समूह 'ग'/ मल्टी टास्किंग स्टाफ" के रूप में निरंतर कार्यरत हैं।

20. क्रम संख्या 29.1 से 29.4: कृपया पूर्व-संवर्ग / प्रतिनियुक्ति/ लियन पद से संबंधित अन्य विवरण प्रदान करें।

21. क्रम संख्या 30: कृपया कालानुक्रमिक क्रम में सेवा का पूर्ण विवरण प्रदान करें।

22. क्रम संख्या-31.1 से 31.4: कृपया अपेक्षित दस्तावेज़/ प्रमाणपत्र अपलोड करें। पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

23. ऊपर क्रम सं.-1 में दिए गए निर्देशानुसार अपनी फोटो खींचे। धुंधले फोटो वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

24. ऊपर क्रम सं.-1 में दिए गए निर्देशानुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। लघु/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

25. पूर्वावलोकन करते समय, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सही है और ऊपर विज्ञप्ति में विभिन्न स्थानों पर उल्लिखित फोटो/हस्ताक्षर संबंधी निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है और आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करें।

26. "I agree" चेकबॉक्स पर क्लिक करें और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा पूरी करें। पूर्वावलोकन में प्रदर्शित अपने आवेदन डाटा की सत्यता की पुष्टि कर "Submit Application" पर क्लिक करें।

27. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर, इसे अनंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्क्रीनशॉर्ट्स

Application Form

Junior Secretariat Assistant / Lower Division Clerk Grade Limited Departmental Competitive Examination, 2025 [Central Secretariat Clerical Service (CSCS) Cadre of Department of Personnel & Training (DoPT)]

Instructions to follow

- Read the notice of examination carefully.
- Please be careful and provide correct details in the application form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself / herself. The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to stand / sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his / her signature in JPEG / JPG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Applications with blurred/miniature signature will be rejected.

- परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है । आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Fill Form >

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Personal Details

Personal Details

Note: Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable. However, if you want to modify any of the One-time Registration details, click on 'Edit Registration Details' button provided at the righthand top corner of 'Candidate Dashboard' and make suitable corrections before proceeding further.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/08/2025:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

10.1. Contact details for Other Nationals:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

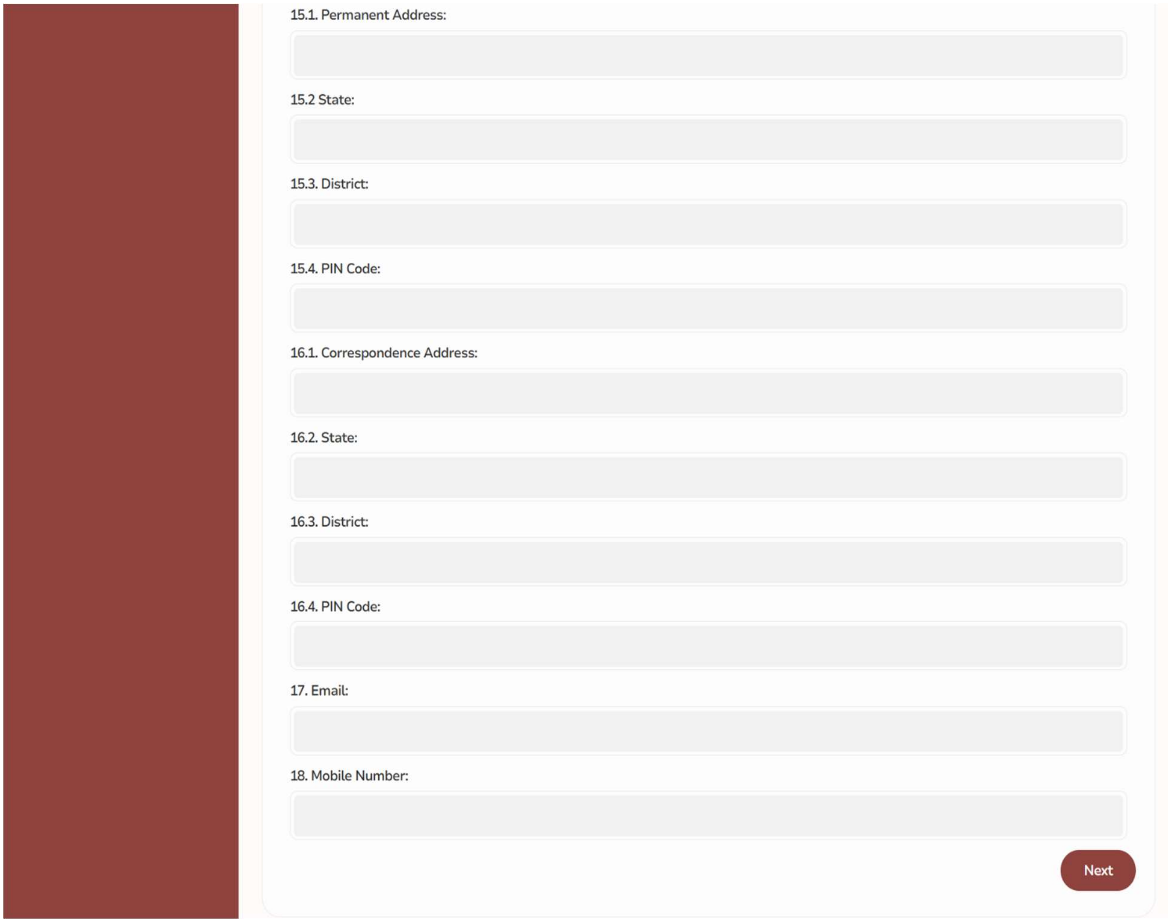
15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3. District:

15.4. PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Next

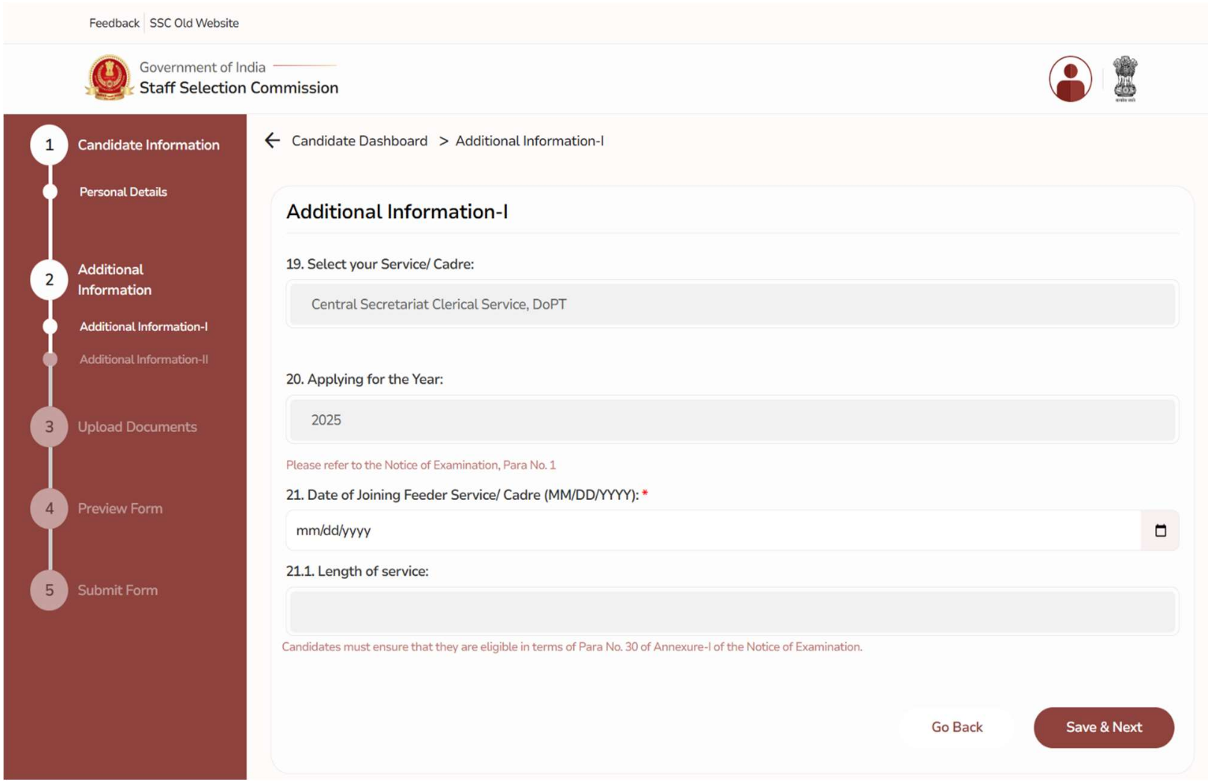
Feedback
SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
1 Candidate Information
Personal Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form
Candidate Dashboard > Additional Information-I
Additional Information-I
19. Select your Service/ Cadre:
Central Secretariat Clerical Service, DoPT
20. Applying for the Year:
2025
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 1
21. Date of Joining Feeder Service/ Cadre (MM/DD/YYYY): *
mm/dd/yyyy
21.1. Length of service:
Candidates must ensure that they are eligible in terms of Para No. 30 of Annexure-I of the Notice of Examination.
Go Back
Save & Next

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

22. Examination Center:

Delhi - NCR

23.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of blindness (VH)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 35(a) of Annexure-I

○ Yes ○ No

23.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Cerebral Palsy (CP)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 35(a) of Annexure-I

○ Yes ○ No

23.3. Do you have a Physical limitation to write as per para 35(b) or 35(c) of Annexure-I of the notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-II/ Annexure-III to the notice of Examination would be required at the time of Examination)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 35(b) or 35(c) of Annexure-I

○ Yes ○ No

23.4. Whether support is required in the form of a scribe/ technology/ assistive devices for writing the exam?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 35 of Annexure-I

○ Yes ● No

24. Medium of examination: *

Select

Verify medium of examination: *

Select

25. Do you possess the requisite Educational Qualification (enclose self attested copy of 12th standard or equivalent certificate):*

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 30 of Annexure-I

○ Yes ○ No

26. Name and full Postal Address of the Ministry/ Department/ Office in which you are working at the time of applying:*

26.1. Name and designation of Head of Department:*

26.1.1. Email (gov/nic) of HoD:*

26.1.2. Telephone Number of HoD:*

26.2. Name and designation of Head of Office:*

26.2.1. Email (gov/nic) of HoO:*

26.2.2. Telephone Number of HoO:*

27.1. Are you a Permanent, Regular or Regularly appointed Temporary Multi-tasking staff/ Group 'C' Post holder in your Service/ Cadre?*

◯ Yes ◯ No

27.2. Date of confirmation in the Multi-tasking staff/ Group 'C' Post, if permanent (MM/DD/YYYY):

mm/dd/yyyy

27.3. Date of appointment as Multi-tasking staff/ Group 'C' Post, if your appointment is temporary (MM/DD/YYYY):

mm/dd/yyyy

27.4. Rank and the year of the examination if appointed based on Multi-tasking staff/ Group 'C' Examination (By Direct Recruitment/ By Promotion/ By LDCE etc.) (e.g. 23/2016):

28. From which date have you been continuously employed as a regular employee Multi-tasking staff/ Group 'C' Post in your service/ Cadre (DD/MM/YYYY)?

mm/dd/yyyy

29.1. Are you holding an Ex-Cadre Post?*

◯ Yes ◯ No

29.2. Whether the deputation to the Ex-Cadre Post has the approval of the competent authority?

◯ Yes ◯ No

29.3. Are you holding Ex-Cadre Post on Deputation Basis or on Transfer Basis: *

Select

29.4. Do you continue to hold lien on Post of Multi-tasking staff/ Group 'C' in your Cadre/ Service?

◯ Yes ◯ No

30. Complete details of service (in chronological order) by you under Government in different offices and Grades. *

Name Of the Dept/ Office *	Post held & Scale of pay *	State whether post held Permanently/ Probation/ Temporary *	From *	To *
			mm/dd/yyyy	mm/dd/yyyy

Add More

31. Give a list of the documents attached with the application (Please see paragraph 11) files should be (pdf/jpeg) *

31.1. Document as indicated in Para 11(i) of Annexure-I of Notice *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(i) of Annexure-I

Please upload requisite certificate

Choose File No file chosen

31.2. Document as indicated in Para 11(ii) of Annexure-I of Notice *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(ii) of Annexure-I

Please upload requisite certificate

Choose File No file chosen

31.3. Please upload certificate of essential educational qualification as indicated in Para 11(iii) of Annexure-I of Notice, if applicable. *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(iii) of Annexure-I

Please upload requisite certificate.

Choose File No file chosen

31.4. Please upload certificate of disability in case of PwBD candidate.

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(iv) of Annexure-I

Please upload requisite certificate.

Choose File No file chosen

Go Back Save & Next

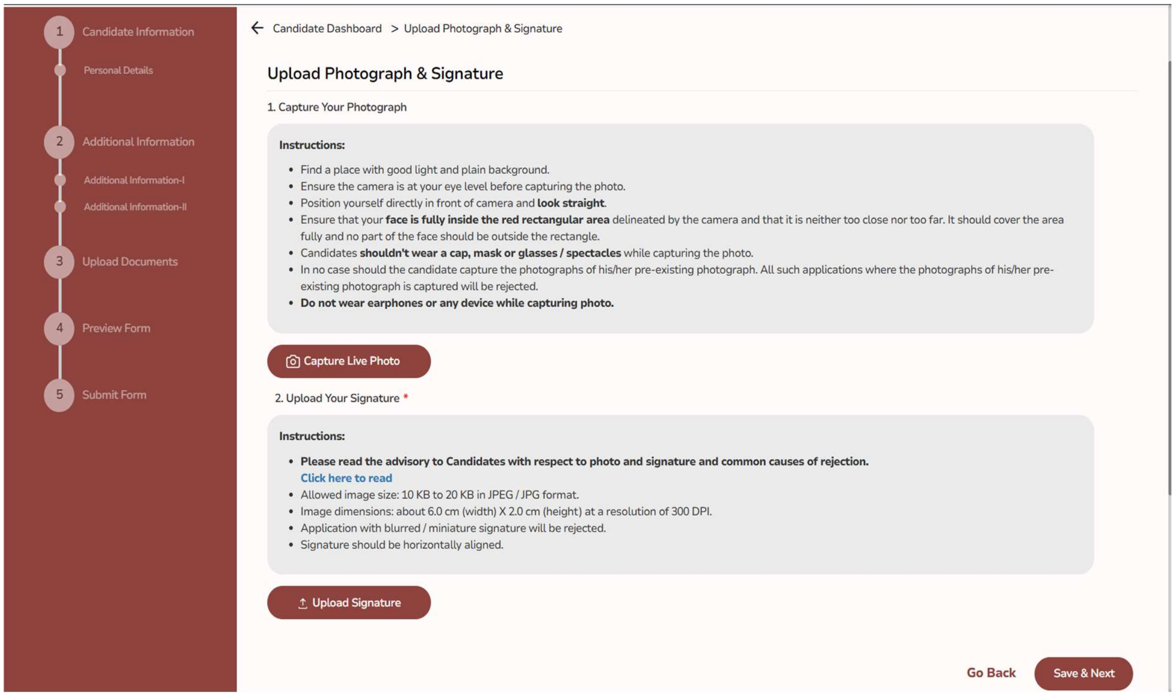

1 Candidate Information

Personal Details

2 Additional Information

Additional Information-I

Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature

Upload Photograph & Signature

1. Capture Your Photograph

Instructions:

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the red rectangular area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- **Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

Capture Live Photo

2. Upload Your Signature *

Instructions:

- **Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.**
  Click here to read
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Application with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

Upload Signature

Go Back   Save & Next

अनुबंध-Vख

Instructions to Candidates for uploading of signatures

1) The major reasons for rejection of signatures are “miniature” signatures. Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.

Cut the box & Sign within the box

2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

अनुबंध-Vग

Signature

1. Good For Approval

2. Rejected

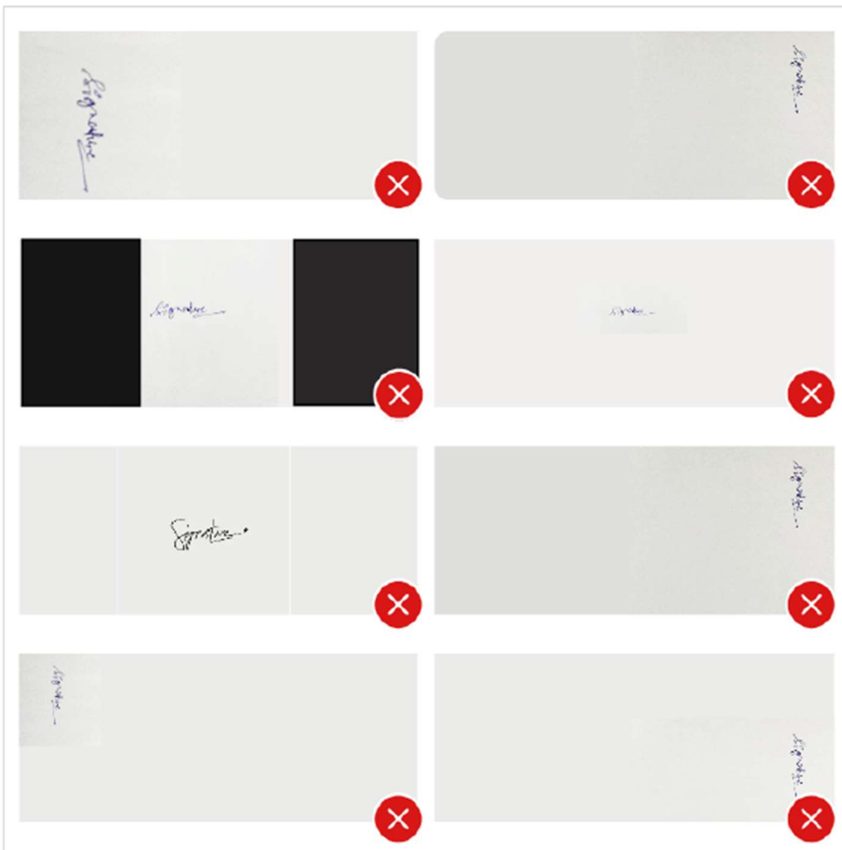

3) The major reasons for rejection photographs are :

(i) Photo without plain background.

(ii) Candidates wearing caps

(iii) Candidates taking photos without shirts.

(iv) Photo not sufficiently bright.

(v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.

4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Photograph

1. Good For Approval

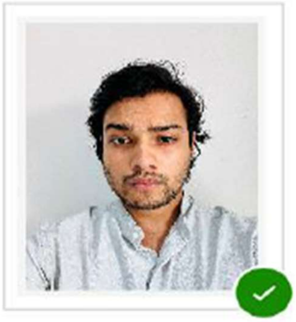

2. Rejected

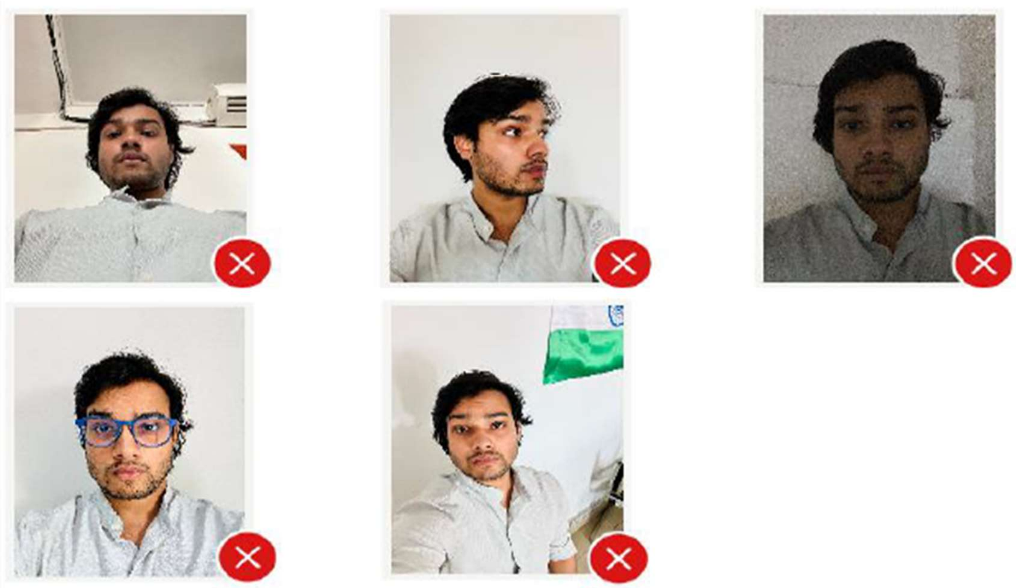

अनुबंध-VI

विभाग अथवा कार्यालय, जिसमें अभ्यर्थी कार्यरत है, के प्रमुख द्वारा भरे जाने हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि:

(1) श्री/श्रीमती/कुमारी__________________________द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की उसके सेवा अभिलेखों से सत्यापन कर लिया गया है।

(2) उनके सेवा अभिलेखों से यह जांच कर ली गई है कि वह जिस जाति /जनजाति से संबंधित है वह जाति / जनजाति, अनुसूचित जाति /जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(3) ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हैं जिसके तहत वह सीएससीएस संवर्ग, डीओपीटी के कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त हैं।

(4) वह परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 01 में सूचीबद्ध संगठनों/ विभागों/ मंत्रालयों में दिनांक ______________________से नियुक्त अस्थायी/ स्थायीवत कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक के नियमित अधिकारी हैं और इस पर उनकी नियुक्ति निरंतर है। `

(5) वह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(6) वह "स्थानांतरण" पद पर नियुक्त है और परीक्षा विज्ञप्ति में उल्लिखित पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) रखता/ रखती है।

(7) अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति एतद्द्वारा संलग्न है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 (सीएससीएस, डीओपीटी) की विज्ञप्ति में उल्लिखित सेवा की अवधि और निर्णायक तिथि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 के लिए सभी अर्हता /पात्रता शर्तों को पूरा करता है।

(8) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को भेजने के लिए अपने आवेदन पत्र को दिनांक_______________________को विभाग/ कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है और यह कि विभाग/ संगठन में उपयुक्त श्रेणी में रिक्ति उपलब्ध है।

(9) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्हें किसी भी परीक्षा/चयन के लिए किसी भी लोक सेवा आयोग/ सचिवालय एवं प्रबंधन संस्थान/ अधीनस्थ सेवा आयोग /कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित अथवा वारित नहीं किया गया है।

(10) प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी अनुमोदित सेवा की गणना हेतु निर्णायक तिथि पर सेवा की अवधि के संबंध में पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

हस्ताक्षर________________________________

नाम___________________________________

पदनाम_________________________________

विभाग/कार्यालय__________________________

पूरा डाक पता ___________________________

दिनांक_________________________________

जो अंश लागू न हों उन्हें काट दें।

नोट-1: अग्रेषण प्राधिकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के मुद्रित संस्करण में अभ्यर्थी की फ़ोटो पर हस्ताक्षर करे तथा फोटोग्राफ को विकृत किए बिना फोटोग्राफ पर अपनी आधी मुहर एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र के मुद्रित संस्करण पर आधी मुहर लगाए। इसके बिना (आवेदन पत्र के फोटो पर अग्रेषित प्राधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर) आवेदन-पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट-2: अभ्यर्थी का पूर्ण आवेदन जिसे अंतिम तिथि के बाद संगठन/विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित किया जाएगा, उसमें संगठन/ विभाग का प्रमाण पत्र कि "अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समापन तिथि या उससे पहले विभाग को प्रस्तुत किया गया था" संलग्न करना होगा। तथापि, इस संबंध में उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट-3: **कनिष्ठ सचिवालय सहायक/ अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 (सीएससीएस, डीओपीटी) की विज्ञप्ति में निर्धारित अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित करना संबंधित विभाग या कार्यालय की जिम्मेदारी होगी।**

अनुबंध -VII

फॉर्म -V

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें[

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा अधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक --------------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --जन्म तिथि ------------------ (दि/म/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ----------जो मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- पेशी संबंधी कुपोषण
- अभिसाधित कुष्ठ
- बौनापन
- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
- तेजाब हमले के पीड़ित
- अल्प दृष्टि
- नेत्रहीनता
- श्रवण दिव्यांगता
- वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता
- बौद्धिक दिव्यांगता
- विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- मानसिक बीमारी
- चिरकालिक तांत्रिक संबंधी विकार
- मल्टीपल स्लेरोसिस
- पार्किन्सन बीमारी
- हेमोफिलिया
- थेलेसेमिया
- सिकल सेल डिसीज़

(ख) शरीर के प्रभावित भाग का नाम :

(ग) उनके मामले में ....निदान किया गया है।

(घ) वे _____________% (आंकड़ों में)_____________प्रतिशत (शब्दों में) दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप (स्थायी/अस्थायी और दिनांक__________तक वैध है), जैसा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक _____________को जारी _________के तहत अधिसूचित दिशनिर्देशों के अनुसार है।

दिव्यांगत व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

भारत सरकार का लोगो	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , भारत सरकार का लोगो	संबंधित संघराज्य क्षेत्र अथवा राज्य का लोगो

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

फॉर्म -VI

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(बहु दिव्यांगता संबंधी मामलों में(

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा अधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ------------------

प्रमाणित किया जाता है कि हमनें श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------ (दि/मा/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ----------जो मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर -------जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और हम संतुष्ट हैं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता का है । उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र.सं .	दिव्यांगता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	दिव्यांगता प्रतिशत
1.	गति विषयक दिव्यांगता			
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि			
8.	नेत्रहीनता			
.9	श्रवण दिव्यांगता			
10.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			

11.	बौद्धिक दिव्यांगता			
12.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
13.	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार			
14.	मानसिक बीमारी			
15.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
16.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
17.	पार्किन्सन बीमारी			
18.	हेमोफिलिया			
19.	थेलेसेमिया			
20.	सिकल सेल डिसीज़			

(नोट: केवल निदान की गई दिव्यांगताओं को ही सूचीबद्ध किया जाएगा।)

(ख) उन्हें _____________% (आंकड़ों में) __________ (शब्दों में) समग्र दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप (स्थायी/अस्थायी और _______ तक वैध) है।

दिव्यांगजन के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर:

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता: